न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
917 / 2024	08.11.2024	20.03.2025

उनवान

1. अभिषेक पुत्र श्री ओम प्रकाश डाड उम्र वयस्क निवासी 281, आर. के कोलोनी भीलवाडा, भीलवाडा (राज.)
2. अशोक कुमार पुत्र श्री जोरावर मल मून्दडा उम्र वयस्क, निवासी 8–एन–10, आर.सी. व्यास कोलोनी भीलवाडा (राज.)
3. ओम प्रकाश पुत्र श्री बंशीलाल डाड उम्र वयस्क निवासी 281, आर.के कोलोनी भीलंवाडा, भीलवाडा (राज.)
4. देवेश मून्दडा पुत्र श्री अशोक कुमार मून्दडा उम्र वयस्क निवासी राजीव गांधी ऑडोटेरियम के पास 281, आर.सी. व्यास कोलोनी भीलवाडा (राज.)
5. माया राम चेला बाबागंगाराम उम्र वयस्क जाति (छ।) हरिशेवाधाम हरिशेवा मार्ग भीलवाडा वाडा (राज.)
6. रेनू मोरयानी पत्नि कन्हैयालाल मोरयानी उम्र– वयस्क जाति– मोरयानी केशव स्टोर वाली गली सिंधु नगर भीलवाडा (राज.)
7. राजाराम उदासी चेला बाबागंगाराम उम्र वयस्क हरिशेवाधाम हरिशेवा मार्ग भीलवाडा (राज.)
8. राधादेवी पत्नि किशनचन्द उम्र– वयस्क जाति– मोरयानी 52– ए पेंटर वाली गली सिंधु नगर भीलवाडा (राज.)
9. सत्यनारायण पुत्र मानकचन्द उम्र वयस्क जाति– शारदा सा. 41 नेताजी सुभाषरोड कोलकाता
10. सुनीता पत्नि रमेश कुमार उम्र वयस्क जाति– नेभवानी धर्मेची निवास भदादा बाग के पीछे भीलवाडा (राज.)
11. हंसराम चेला बाबा गंगाराम उम्र वयस्क हरिशेवा धाम हरिशेवा मार्ग भीलवाडा (राज.) –

प्रार्थीगण

बनाम

1. पोखर पुत्र देबी बलाई, उम्र–वयस्क, निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
2. भैरू लाल पुत्र बद्री लाल बलाई उम्र–वयस्क, निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
3. बद्री लाल पुत्र डूंगा बलाई उम्र–वयस्क, निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
4. अक्षयराज नरूका पुत्र गणपत सिंह नरूका, उम्र–वयस्क, निवासी 1–एफ–23, विकास नगर, बूंदी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

5. महेन्द्र पुत्र नारायण सिह राजपूत उम्र–वयस्क, निवासी मांडा तहसील सांभर, जिला जयपुर (राज.)
6. दिनेश पुत्र अर्जुन लाल चेचानी उम्र–वयस्क, निवासी वकील कोलोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
7. देवी लाल पुत्र गोकुल जाट उम्र–वयस्क, निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
8. घनश्याम पुत्र बरदी चन्द कोली, उम्र–वयस्क, निवासी कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाडा
9. युसूफ अली पुत्र इब्राहीम बोहरा, जरिए युसूफ हार्डवेयर, कुम्भा सर्कल रोड़, आजाद नगर, भीलवाड़ा (राज)
10. श्री शफूददीन पुत्र इब्राहीम बोहरा जरिये युसूफ हार्डवेयर, कुम्भा सर्कल रोड़, आजाद नगर, भीलवाड़ा
11. अमरी पुत्री घीसा गाडरी, निवासी अगरपुरा तहसील जिला– भीलवाडा (राजा)
12. रामगणी पुत्री धीसा गाडरी, निवासी अमरपुरा, तहसील जिला– भीलवाडा (राज0)
13. उदी पुत्री घीसा गाडरी, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला– भीलवाडा (राजा)
14. लादी पत्नी घीसा गाडरी, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला– भीलवाड़ा (राज०)
15. गणेश पुत्र घीसा गाडरी, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला भीलवाडा (राजा)
16. प्रभु पुत्र घीसा गाडरी, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला– भीलवाडा (राजा)
17. जमना पुत्र मांगीलाल सुथार, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला– भीलवाड़ा (राज०)
18. सुखा पुत्र मोहन सुथार, निवासी अमरपुरा, तहसील व जिला– भीलवाड़ा (राज०)
19. हीरालाल पुत्री घीसा सुथार, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
20. मुरली पुत्र मोहन सुथार, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला– भीलवाडा (राज०)
21. चेतन पुत्र किशनलाल सुथार, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला– भीलवाड़ा (राज०)
22. प्रेम पुत्री बक्षु सुथार, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
23. सीता पुत्री बक्षु सुथार, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला– भीलवाड़ा (राज०)
24. बंशीलाल पुत्र बक्षु सुथार, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला– भीलवाड़ा (राज०)
25. गैरवी पत्नी सालग गाडरी, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला– भीलवाड़ा (राज०)
26. अलोल पुत्री सालग गाडरी, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला– भीलवाड़ा (राज०)
27. बक्षु पुत्र सालग गाडरी, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला– भीलवाड़ा (राज०)
28. रामू पुत्र देवी नायक, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
29. मांगी पत्नी श्यामलाल नायक, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला– भीलवाड़ा (राज०)
30. प्रकाश पुत्र रामेश्वर पोरवाल, 4–ए–6, आर.सी. व्यास कालोनी, भीलवाड़ा (राज०)
31. कैलाश पुत्र मदन दरोगा, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला– भीलवाड़ा (राज०)
32. कान्ता पुत्री कल्याण दरोगा, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला– भीलवाड़ा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

33.सीतादेवी पत्नि सांवरमल जांगिड़, निवासी मोती नगर, भीलवाड़ा (राज०)
34.बालकिशन वैष्णव पुत्र रोशनलाल वैष्णव, 412, नीलकण्ठ कालोनी के पास सांगानेर कालोनी, भीलवाड़ा (राज०)
35.तहसीलदार भीलवाड़ा कलेक्टरी परिसर, भीलवाड़ा (बतौर भूस्वामी औपचारिक पक्षकार)

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी श्री अभिमन्यू जोशी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 34 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अगरपुरा प0ह0 हलेड भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071—2074 के खाता संख्या 533 की अभिलिखित आराजियात 333, 336, 365, 389, 390, 391, 392, 393, 394 कुल किता 09 कुल रकबा 20.2955 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 34 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा अगरपुरा प0ह0 हलेड भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 533 की अभिलिखित आराजियात 333, 336, 365, 389, 390, 391, 392, 393, 394 कुल किता 09 कुल रकबा 20.2955 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा